

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602975

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : ग्रामकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 अगस्त, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00046

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
682मि	1) उपायक्ष मुरादाबाद विकास / . / . 2) प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .		1417फ	682मि(1151920682200112)	0.0810	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.0405 2) 0.0405	232.25

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.0810 हेक्टर। कुल भू-राजस्व - 232.25 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0810) हेक्टर।

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

अ) वंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

18.1) वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन मे द्वारा फार्म प.क. 23 के अन्तर्गत खतौनी वर्ष 1420 से 1425फे खाला सं.42के गाटा सं.1.620मि/0.833पर श्रुति वश खतेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की श्रुति की श्रुति करते हुये पूर्व खतौनी 1414फ से 1419फ के
- 2) खाला सं.1.136के आधार पर गाटा सं.1.620मि/0.833मे कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम वतौर सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो हो0आर0 के 029.5.13
- 3) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन मे द्वारा फार्म प.क.23 के अन्तर्गत खतौनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाला सं.42के गाटा सं.636अ/0.352 हे0व खसरा नं.636ब/0.506हे0पर श्रुति वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 4) छूट गया है की श्रुति की श्रुति करते हुये पूर्व खतौनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/0.352हे0व खसरा नं.636ब/0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो 0आर0के 0दि20.8.13
- 5) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद सं.1.462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाला सं.1.42के गाटा सं.1.636अ/0.352,गाटा सं.1.636ब/0.506कुल 2कि ता0.858हे लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से व खाला सं.1.40के गाटा सं.1.837/0.640हे लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग
- 6) से मुक्त श्रीमती अफसरी पत्नी स्वा0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का 1 नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईया वाली मस्जिद बाके ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गाफकार हुसैन पुत्र फहमूद हुसैन नि0मिलक
- 7) भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.8.2008के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज हो हो0आर0के 026.02.14
- 8) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाला सं.42 खसरा नं.636अ/0.352हे0व 636ब/0.506हे0 कुल 2कि ता कुल रकबा 0.858हे0 के वकदर भाग से विक्रेता गाफकार हुसैन पुत्र फरमूद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 9) व जिला मुरादाबाद मिनगानिब मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईया वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क्रेता शुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी मोहल्ला मियां सराय तसपुर तहसील व जिला . सम्मल का नाम बजारिये पंजीकृत वनामा दिनांक 26.5.15
- 10) के आधार पर दर्ज हो हो0आर0के 15.7.15

Data Digitally Signed by:RAMI SINGH RAWAT(RACISTRAR KANOOINGO)

दिनांक समय स्थान: 25-07-2026 11:19:42 वरतौम : मुरादाबाद
एग उदरत्न शतौम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर प्राप्त हैपर की गती है तथा शरता डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TISHAR BHATT(SAC:AR वरतौम : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 25-07-2026 11:19:42
Not Applicable For Online Petition तसरीब तदरत शतौम का वैधिकेशन
https://nigrahilabha.gov.in Website पर जाकर सध्या QR Code Scan करके किया जा सकता है।



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602976

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 भाग : 1) खाता संख्या : 00377
 श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण. अधि. अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि - (क) जो उ.प्र. जोत सी. आ. अ. के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश
(2)	(3)	(5)	(7)
खसरा/ गाटा संख्या (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	गाटा (पूनीक कोड)	हिस्से में
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	क्षेत्रफल में (हे.)
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)
कुल गाट. 1 कुल क्षेत्रफल-0.3400 (हेक्टर)	कुल भू-राजस्व - 1.26 रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - 0.3400 (हेक्टर)	
682मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि / --- / --- 2) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद /	1) अन्य / 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण	682मि(1151920682200242)0.3400
			1) 1/1 2) -
			1) 0.0019 2) 0.3381
			0.3400
			1.26

1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि / ... / ... (क्षेत्रफल : 0.0019)	682मि (1151920682200242)	1.1)	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	682मि (1151920682200242)	1.1)
		0.3381			0.3381

भूमि / ... / ... (क्षेत्रफल : 0.0019)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) वंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/201 सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) नीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैद्य वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ते.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ते.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263पर अमलदरामद में हुई ट्रेडि का परीक्षण करारकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह.ते. 25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रैई पुत्र रामसरन विश्रैई नि.वी.एस-1 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहैसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उ फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झोंझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रैई पत्नी रामराज सिंह विश्रैई वि.एस-1 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरासिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लार्डेनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ते
- 8) ह ते.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क मशः 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झोंझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ते. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनम मु.पुनिया में गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अर्पणीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो 1 प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ते.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी.03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है 1 पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है 1 ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैद्य वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ते.24.1.04

- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊषा वर्मा पत्नी धनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौं मंडावर बिजनीर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लार्दनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ते.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं.2208न.भू.सी.2001दि.2.3.01के अत्रगत वाद सं.1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास ने धारा 45के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94में गाटा सं.336मि.1983.03वर्ग मी.गाटा सं.263मि.2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू-धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह.ते.11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद.मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम बतौर वारिस दर्ज हो ह.ते.10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआ कि खातासं0370गाटासं0303मि रकबा 0.221व गाटासं0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशालकार
- 21) ग. गैगराम उर्फ गजराम व कुं व. रसैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा वादहू विक्रय पत्र ग. गैगराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्रय पत्र अमृत लाल आदि बहक के चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खालास0370गाटासं0303मि/0.221है0 में से 0.202भाग से ग. गैगराम उर्फ गजराम
- 22) व कुं वर सैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती के चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखालदार के रूप में दर्ज हो ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक सं.328न.भू.सी./2001दि.14.5.01 सं0लत्र पत्रांक सं.08908न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियत अधिनियम 1976की धारा 6(1)के अत्रगत भू-धारिका श्रीमती कमला बहू पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिखिल लार्दन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सं.10355के 1/2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ते.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक सं.0 235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अत्रगत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.1.90मि/1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित ग्राटा सं.516मि/144.72वर्ग मी.कुल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो ातथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सांतिंग वाद सं.1.1448/5011में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सं.1
- 27) 516रकवा।144.72वर्गमी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.1.90मि रकबा 1423.20वर्गमी0कुल 2567.92वर्गमी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमें पक्ष में कब्जा लिया गया ा अतःउक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अत्रगत सरकार
- 29) वनाम जेट्टू में गाटा सं.866वर्गमी0 नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40वर्गमी0व647.52वर्गमी0अर्थात कुल 5503.92वर्गमी0भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्गमी0में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60वर्गमी0भूमि होती है
- 30) अतःभूधारक की 889.60वर्गमी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ा ह0आर0के0दि.3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक।14/न0भू0सी0/03दि.28.5.03के अत्रगतसांतिंग वाद सं.1.532/5019में दापर अभीलमे माननीय अपर जिलालज धरुम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहाबाद में दापर रिट याचिका सं.1.6729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तथावात निरस्तन आधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण सं.1क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरस्तकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद में कब्जा

ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान

34) पर भूधारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व०श्री रामचन्द्र नि०हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा सं०/क्षेत्रफल वर्गमी०मेकम सं०।-ग्राम मऊ गाटा सं०।516मि रकबा 11.44.72वर्गमी०व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सं०।.90मि रकबा 1443.83वर्गमी०कुल 2किला रकबा 2588.55वर्ग

35) मी० ह०आर०के०7.3.09

36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486है०लगानी वमुजिव . खतोनी के पूर्ण भाग मे से 0.80एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसैन पुत्र स्व०जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह०

37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह० अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ सं०भू०के रूप मे द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात मूतक शेर सिंह .पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह०.

38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनाम दिनांक 2.1.95सं०भू० के रूप मे राजस्व अभिलेखों मे अंकित हो ह०आर.के.. 5.6.09

39) 1417फ.आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि मे खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी

40) किये जाय . 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती

41) पुनिया तलव की जाय . 1 तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है . 1 ह०आर०के०दि.25.7.09

42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा० के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन मे आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न०भू०सी०/08दिनांक 3.10.08के अन्तर्गत शासन देश सं.513/उन्वास-152/47यू०सी०/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते

43) हुये नये सिरे मे भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई /तत्पश्चात सक्षम प्राधि कारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटासं.879से 8943.87व०मी०गाटा सं. 1.873से े 654.44व०मी०भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई . 1 सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के

44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथाइस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01केद्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं. 1.879/8943.87व०मी०गाटा सं.873/654.44व०मी०कु ल 9598.31व०मी०भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया

45) जबकि उक्त वाद मे गाटा सं. 1.879/8947.87 व०मी०व गाटा सं.873रकबा 1059.14व०मी०का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया . 1 अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी पत्रांक 217वी०दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 मे अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.873/654.44व०मी०के

46) स्थान पर 1059.14व०मी०सही पढा जाय . 1 ह०आर०के 023.9.09

47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न०भू०सी०/010 दिनांक 30.4.10के अन्तर्गत वाद सं.2759/101सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रो०लि०मे धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अन्तर्गत सक्षम

48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतःगाटा सं.538/1133.16 व०मी०गाटा सं.541/654.45व०मी०भूमि पर हिन्द निहोन प्रो०लि०मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि.5.5.10

49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा० वाद सं. 1.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.866/0.486 है.लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग से विक्रेता चन्द्र सैन पुत्र स्व०जेठू नि० ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर के ता

50) उपाध्याय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वर्जिये वेनामा दर्ज हो ह०आर०के०16.6.10

51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा०वाद सं. 1.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.866/0.486 है.लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग से विक्रेता श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि०ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर के ता

- 62) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वर्जिये वैनामा दर्ज हो 80 आर के 0 27.7.10
- 63) 1423क आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं. 1.77/10 धारा 143 जे 0 वि 0 अधि 0 आदेश दि. 18.6.10 के अन्तगत में हिन्दू निर्धन प्रॉटिन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या /संस्तुति के आधार पर खाला सं. 1.30 गाटा सं. 1.566/0.028 का 1/2 भाग एवं खाला सं. 1.385 के गाटा सं. 1.538 सि. 0.113
- 64) 541 0.065 हे को अकृषिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है 80 आर के 018.8.10
- 65) 1420क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31/820/454/2011-12 धारा 34 L.R ACT ग्राम सोनकपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद खाला सं. 371 गाटा सं. 263/2043/20 वर्ग मी 0 भानुप्रकाश वनाम . मु 0 पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद में वसीयत अपवीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 66) में हुए संघोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ 0 प्र 0 जे 0 वि 0 एवं भू 0 व्य 0 अधि 0 के प्रावधान लागू नहीं है. बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है. उक्त विवेचना के
- 67) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है. 80 आर के ...1.4.2013
- 68) 1422क आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण . सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न 0 भू 0 सी 0 / रिट 0 / 2014 दिनांक 18 नवम्बर 2014 के क्र म में . मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/2011 ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा 0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 69) 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं. 669 रकबा 2549.61 वर्ग मी 0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है विसं निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस धर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनादेश संख्या 319 जे 0 क दिनांक
- 70) भूमि एग्रीटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी को अनुमति से
- 71) कि या जायेगा. 3-कृषक प्रयोजन हेतु भ्रष्टाचार प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19 (एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा, 80 आर के ...2.12.2014
- 72) 1423क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वाद सं 0 T 2151354014307 आदेश दि. 24.8.15 को आदेश हुआ कि खाला सं. 371 के गाटा सं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मी 0टर लगान वमुजिव खतीनी पर अंकित मूलका श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 73) स्व 0 अभि 0 प्रकाश नि 0 ग्राम दलपतपुर का नाम वतौर वारिस सं 0 भू 0 के रूप में अंकित त ह 0 ा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प 0 क 0 11 ख आदेश दि. 12.2.1994 निरस्त कि या जाता है . 180 आर के 031.8.15
- 74) 1423क आदेशानुसार श्रीमान उपाजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वाद सं 0 T 20151354014413 धारा 210 एल 0 आर 0 एक्ट आदेश दि. 28.08.2015 के अन्तर्गत निरीशचन्द्र आदि वनाम भानुप्रताप शर्मा में खतीनी वर्ध 1420-25 के खाला सं. 371 के खसरानं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग
- 75) मी 0टर लगान वमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है ा 180 आर के 07.9.15
- 76) 1423क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वाद सं 0 T 20141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खाला सं. 371 के खसरानं. 873 सि रकबा 0.040 हे. लगान वमुजिव खतीनी के वकदर भाग में से 0.0100 हे. पर से विक्र ेता वफाती पुत्र इतवारी नि 0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 77) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेंद्र सक्सेना निवासी डी-73, आवतिका कालोनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में वर्जिये वैनामा दि. 20.02.14 के आधार पर सं 0 भू 0 के रूप में दर्ज हो ा 180 आर के 0
- 78) 30.09.15
- 79) 1423क आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि. 08.06.16 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर की खाला सं. 371 पर श्रुतिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वाद सं. T 20141354015892 आदेश दि. 15.09.15 दर्ज हो गया है ा की श्रुति की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाला संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है ा 180 आर के 08.6.16
- 71) 1423क आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद, पत्रांक 2060/न 0 भू 0 सी 0 / 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महदूब पुत्र श्री फे जवख्शा

निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं-316/1589 में धारा-45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के

72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है जिसके सम्बन्ध में धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी किया गया

73) तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद कि या गया, लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा-10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त

74) वाद की कार्यवाही उपशमिता कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक

75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित करें, ह0आर.के...17.6.2016

76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0-10सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्त निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 में धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध में धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमिता कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों ह0आर.के23-07-16

77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं0 436/5216 सरकार वनाम छोटलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हों ह0आर.के0 30/07/16

78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं0 1310/5214 सरकार वनाम वालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर वालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों, ह0आर.के0 30/07/16

79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्वरण खतौनी वर्ष 1420फ सं 1425फ प्रस्तुत की है जिसमें 0.30880हे0अर्थात 30880वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200 600सरकार वनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173.599 सरकार वनाम मटर एंव सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार वनाम मुख्तार में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25वर्गमी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 30880वर्गमी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हों 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटर एंव श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हों 1 ह0आर.के0दि 12.8.16

80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र वनाम भानु प्रकाश शर्मा में आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं0 371के खसरा नं0 263/1 रकबई 0.2020हे0अर्थात 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीव दर्ज हों ह0आर.के0दि 03.10.16

81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता वनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर को खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह0आर.के08-03-17

